<u>ई–मेल / डाक / अति–आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.1(1) ।।।/ सी/निर्वा/2012/321 जयपुर, दिनांकः 04.02.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का बारकोड रिर्कोडर के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों के ईवीएम स्टोर रूम में उपलब्ध ईवीएम का भौतिक सत्यापन प्रत्येक त्रैमास में किया जाता है तथा निर्धारित प्रपत्र में इसकी सूचना विभाग को भेजी जाती है। प्रत्येक त्रैमास में किये जाने वाले भौतिक सत्यापन के विषय में आयोग के निर्देश है कि भौतिक सत्यापन के दौरान प्रत्येक मशीन **भौतिक रूप से सत्यापित की जाए तथा इसकी डेटा एन्ट्री आयोग के वेब पोर्टल पर की जाए। इस विषय में आयोग के यह भी निर्देश है कि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही केवल बारकोड रिर्कोडर के माध्यम से ही की जाए।**

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय द्वारा जिलों के ईवीएम स्टोर रूम में उपलब्ध सभी सीयू/बीयू का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा इसके पश्चात् प्रत्येक सीयू/बीयू की डेटा एन्ट्री आयोग के वेब पोर्टल पर की गयी है। आयोग के वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री करने के पश्चात् आयोग के सॉफटवेयर से ही राज्य के विभिन्न जिलों में अथवा देश के विभिन्न राज्यों के जिलों में एक ही नम्बर की दो सीयू/बीयू होने की स्थिति में कम्प्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त कर ईवीएम की भौतिक रूप से उपलब्धता के अनुसार वेब पोर्टल पर डेटा एन्ट्री को ठीक किया गया है। इस विषय में आयोग के निर्देशानुसार आपके जिले में इस प्रकार की 2–2 सीयू/बीयू होने पर इनकी फोटो अपलोड करने के निर्देश दिये है किन्तु अभी कुछ जिलों में इस प्रकार की स्थिति है कि दोहरी बीयू/सीयू की समस्या का पूर्णतया निराकरण नहीं हो पाया है तथा जिलो का डेटा विशुद्ध रूप से तैयार नहीं हो पाया है।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) पैरा 2 के में उल्लेखित स्थिति के अनुसार अपने जिले में दोहरी सीयू/बीयू की सूची प्राप्त कर इसके तत्परता से निराकरण की कार्यवाही करें तथा आयोग के वेब पोर्टल पर वहीं सीयू/बीयू की एन्ट्री हो जो कि आपके जिले में भौतिक रूप से उपलब्ध है।

4. आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष के अंतिम त्रैमास अक्टूबर– दिसम्बर, 2012 तक का भौतिक सत्यापन का कार्य 01 जनवरी, 2013 से प्रारम्भ किया जाकर 20 फरवरी, 2013 तक पूर्ण किया जाना है। जैसा कि आयोग के निर्देश है कि उक्त भौतिक सत्यापन अब केवल बारकोड रीडर के माध्यम से ही किया जायेगा इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राज्य में विधानसभा के लिए आम चुनाव होगें तथा आम चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जिलो में उपलब्ध ईवीएम का स्थनांतरण राज्य के अन्य जिलों में अथवा अन्य राज्यों में स्थानांतरित करना होगा। इस विषय में आयोग के यह निर्देश है कि जभी ईवीमए का स्थानांतरण किया जाए वह आयोग द्वारा निर्धारित

साफटवेयर के माध्यम से ही किया जाए। अतः वर्तमान भौतिक सत्यापन का कार्य बारकोड रीडर के माध्यम से ही किया जाना है जिसके विषय में विवरण आगे के पैरा में दिया जा रहा है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में उपलब्ध ईवीएम का भौतिक सत्यापन बारकोड रीडर से करने के निर्देश है। आयोग के निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 4255 दिनांक 7.12.2012 के द्वारा आपको एक लेपटॉप, बारकोड रीडर व स्टीकरस् खरीदने के विषय में बजट आवंटित कर दिया गया है। राज्य के अधिकांश जिला निर्वाचन अधिकारियों ने उक्त सामग्री क्रय कर ली है। कुछ जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि की मॉग कर रहे है। इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि बारकोड रीडर के माध्यम से सीयू/बीयू पर लगाये स्टीकर को बारकोड रीडर से रिर्काड करना है, जो कि इन्टरनेट युक्त लेपटॉप से रिकार्ड होकर सीधे आयोग के वेब पोर्टल पर रेकार्ड होगें। अतः इस कार्य के लिए जो लेपटॉप क्रय किया जाना है उसकी सरंचना (Configuration) ऐसी होनी चाहिए जो कि उक्त कार्य कर दें। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा बजट आवंटन किया गया है वह उचित है तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) सीमित निविदाएँ आमंत्रित कर उक्त प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा आवंटित राशि का उपयोग कर सकते है। विभाग द्वारा बारकोड रीडर हेतु भी उचित बजट आवंटित किया गया है जिसके अनुसार इसका क्रय किया जा सकता है।

6. कृपया आपके जिले के स्टोर रूम में उपलब्ध बीयू/सीयू का अवलोकन कर लें, लगभग सभी मशीनों पर स्टीकर लगे हुए है जिन पर प्रत्येक मशीन का यूनिक आई.डी. नम्बर अंकित है। यदि बीयू/सीयू पर स्टीकर नहीं लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में स्टीकर लगाए जाए जिसके लिए पृथक से बजट आवंटित किया गया है। इस विषय में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम की एन्ट्री आयोग के वेब पोर्टल पर की गयी है तथा आयोग के वेब पोर्टल से प्राप्त की जाने वाली अन्य रिपोर्ट के साथ डेटा एन्ट्री की गयी प्रत्येक सीयू/बीयू के स्टीकर की प्रिन्टिंग का कार्य भी किया जा सकता है। विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रिन्टर के लिए भी बजट आवंटित किया गया है

7. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ईवीएम स्टोर रूम प्रभारी को इस विषय में सख्त निर्देश प्रदान करें कि वह विभाग द्वारा आवंटित बजट के अनुसार लेपटॉप, बारकोड रीडर आदि क्रय करने की नियमानुसार व शीघ्रता से कार्यवाही करें तथा इस त्रैमास का भौतिक सत्यापन बारकोड रीडर के माध्यम से ही किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशेक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।